उत्तराखण्ड विधान सभा

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्याः 229/वि0स0/05/समिति/2017

देहरादून, दिनांक : 03 नवम्बर, 2017

अधिसूचना/प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के दिनांक 01 मई, 2017 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव किः–

''संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए राज्य में उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। संस्कृत की ऐतिहासिक विशिष्टताओं और भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में इसके स्थान को देखते हुए इसके संवर्धन, प्रोत्साहन, प्रसार एवं अधिकाधिक प्रयोग के लिये एक सम्यक् नीति एवं दिशा निर्धारण की नितान्त आवश्यक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नीति निर्देशक एवं मार्ग दर्शक व्यवस्था करने, सुसंगत विकासोन्मुखी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिये, नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन और वर्तमान व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण के लिये विधान सभा की संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है,'' के क्रम में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2017–2018 के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा **''संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति''** का सदस्य नाम–निर्दिष्ट किया गया हैः–

संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति

1. डा0 प्रेम सिंह, ग्रा0–सरौंजा, पो0– लामाखेड़ा तहसील– सितारगंज, जिला– उधमसिंह नगर,
2. श्री विनोद चमोली, 103/6 ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून,
3. श्री भरत सिंह चौधरी, ग्रा0 भवाणा, पो0 घोलतीर जिला–रूद्रप्रयाग,
4. श्री यतीश्वरानन्द, वेद मन्दिर आश्रम, निकट ज्वालापुर, तहसील–ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार,
5. श्री दलीप सिंह रावत, ग्राम रामीसैरा, पो0 ढौडियाल पट्टी तल्ला बदलपुर, लैंसडौन, पौड़ी गढ़वाल,
6. श्री कैलाश गहतोड़ी, मल्ली मादली चम्पावत, पो व जिला चम्पावत,
7. श्री संजीव आर्य, ग्राम छड़ायाल सुयाल, पो0औ0 मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने **डा0 प्रेम सिंह** को उक्त **संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति** का सभापति नियुक्त किया है।

आचार समिति

उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के दिनांक 13 जून, 2017 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव किः–

''आचार समिति (एथिक्स कमेटी)'' उत्तराखण्ड संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका समाज में उच्च नैतिक आदर्शों की सोपान एवं उनके अनुपालन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सदन तथा इसके मा0 सदस्यों की गरिमा के अनुरूप सदन के प्रभावी लोकतांत्रिक एवं समीचीन कार्य संचालन, सार्वजनिक जीवन में आचरण के मानकों के स्तर को बढ़ाने तथा विधान सभा की गरिमा और आदर को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आचार समिति का गठन किया जाना एक अविलम्बनीय समसामयिक आवश्यकता है। राज्यसभा में वर्ष 1997 में आचार समिति का गठन किया गया था। लोकसभा में वर्ष 2000 में तदर्थ रूप से आचार मंडल तथा वर्ष 2015 में आचार समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त देश के अन्य विधानमंडलों में भी आचार समितियों का गठन किया गया, एवं कतिपय विधानमंडलों में इनके गठन पर विचार किया जा रहा है। सदन तथा उसके बाहर माननीय विधान सभा सदस्यों के आचरण तथा आनुषंगिक विषयों पर विचार मंथन करने, सुझाव देने, अनुश्रवण करने तथा संगत विषयों हेतु विधान सभा की एक सात सदस्यीय आचार समिति का गठन किया जाय,'' के क्रम में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2017–2018 के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा **''आचार समिति ''** का सदस्य नाम–निर्दिष्ट किया गया हैः–

1. श्री हरबंस कपूर, 230, इन्दिरा नगर, निकट पोस्ट न्यू फारेस्ट, देहरादून,
2. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, ग्राम कुन्ज, पो0 व तहसील जैंती, जनपद अल्मोड़ा,
3. श्री संजीव आर्य, ग्राम छड़ायाल सुयाल, पो0औ0 मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल,
4. श्री दीवान सिंह बिष्ट, ग्राम शंकरपुर खजांची, पो0 रामनगर, जनपद नैनीताल,
5. श्री राजेश शुक्ला, ए–135 गुरूद्वारा रोड, आवास विकास किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर,
6. श्री सौरभ बहुगुणा, डी–17, सैक्टर–3, डिफेन्स कालोनी, देहरादून,
7. श्री राम सिंह कैडा, ग्राम कैड़ागांव, पो0 जोस्यूड़ा, धारी, भीमताल, जनपद नैनीताल।

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने **श्री हरबंस कपूर** को उक्त **आचार समिति** का सभापति नियुक्त किया है।

सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति

उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के दिनांक 13 जून, 2017 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव किः-

21वीं सदी में सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से मानव जाति ने विकास के नित नए सोपान तय किये है। इसके अनुप्रयोग से दैनिक जीवन से जुड़े प्रत्येक पक्ष में कार्यसंस्कृति, सामाजिक विमर्श, शासन एवं प्रशासन तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक संदर्भ में आमूल परिवर्तन हुआ है।

सूचना प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में देश के सर्वप्रथम कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का मैन्डेट सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी अवसंरचना के अधिकतम दोहन के माध्यम से देश को एक डिजिटली सशक्त समाज एवं नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। उत्तराखण्ड में भी वृहद स्तर पर ई-गवर्नेस के उद्देश्य से शासन के सभी विभागों, निदेशालयों तथा प्रशासन के सभी कार्यालयों, जन-सेवाओं, शैक्षिक तथा प्रशैक्षणिक संस्थाओं आदि में सूचना प्रोद्यौगिकी का व्यापक प्रयोग हो रहा है।

इस परिदृष्य में सूचना प्रोद्यौगिकी के सर्वोत्तम प्रयोग से श्रेष्ठतम शासन सुनिश्चित करने हेतु "मिनिमम गवर्नमेन्ट-मैक्सिमम गवर्नेस" को मूर्त रुप देने हेतु प्रस्तावित है कि प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण, नई सम्भावनाओं पर नीति विषयक विमर्श एवं आनुषंगिक विषयों पर विधान सभा की एक सात सदस्यीय सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति का गठन किया जाय," के क्रम में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2017-2018 के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा **"सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति"** का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया गया हैः-

1. श्री देशराज कर्णवाल, 1559, प्रीत विहार कालोनी, (गणेशपुर), तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार,
2. श्री केदार सिंह रावत, ग्राम बीफ, पो0औ0 जानकी चट्टी/खरसाली, तहसील बड़कोट, उत्तरकाशी
3. श्री धन सिंह नेगी, ग्राम पालकोट, पो0 अंजनीसैंण, तहसील जाखणीधार, जनपद टिहरी गढ़वाल,
4. श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण, सी-1/2, एम.एस. फ्लैट, आर0के0 पुरम् सैक्टर-13, नई दिल्ली,
5. श्री सौरभ बहुगुणा, डी-17, सैक्टर-3, डिफेन्स कालोनी, देहरादून,
6. श्री मनोज रावत, ग्राम भणज, पो0 मचकण्डी, तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग,
7. श्री मुकेश कोहली, ग्राम मुच्छियाली, पट्टी बनगढस्यूं, पौड़ी गढ़वाल।

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने **श्री देशराज कर्णवाल** को उक्त **सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति** का सभापति नियुक्त किया है।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

संख्याः 229/वि0स0/05/समिति/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ,
2. माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय उपाध्यक्ष की सूचनार्थ,
4. माननीय मंत्रियों के निजी सचिव को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
5. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
6. उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
7. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, देहरादून,
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
9. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
10. प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
11. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
12. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, स्टेट बैंक के पीछे इन्दिरा नगर, देहरादून,
13. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,
14. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग,
15. वरिष्ठ शोध अधिकारी विधान सभा को वेबसाइट हेतु,
16. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली,
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे असाधारण राजपत्र में मुद्रित कर पांच प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।